



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 श्रावण 1948 (श0)

(सं0 पटना 1004) पटना, मंगलवार, 18 अगस्त 2026

सं0 5/खेल 8-18/2026/3138

खेल विभाग

संकल्प

14 अगस्त 2026

विषय:— राज्य खेल अकादमी, राजगीर के परिसर में "स्पोर्ट्स साइंस सेंटर" (उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण एवं इन्जुरी सेंटर) के अधिष्ठापन एवं संचालन, रखरखाव, मानव संसाधन के लिए गुणवत्ता-सह-लागत आधारित चयन (QCBS—Quality-Cum-Cost Based Selection) के माध्यम से एजेंसी का चयन करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान करने तथा सेंटर के संचालन, रखरखाव, मानव संसाधन एवं उपकरणों के अधिष्ठापन पर लगभग कुल राशि ₹25 करोड़ के कुल व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना ज्ञापांक-मं0मं0-01/मंत्रिपरिषद्-01/2024-37, दिनांक-09.01.2024 द्वारा नए खेल विभाग (Department of Sports) का गठन किया गया तथा उनके अधीन कंडिका-2 में आवंटित कार्य के आलोक में खिलाड़ियों के कल्याण से संबंधित सभी कार्यों का विकास किये जाने की आवश्यकता है।

2. बिहार राज्य में खेल अवसंरचना के विकास, खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में खेल अकादमियों, प्रशिक्षण केन्द्रों तथा खेल परिसरों की स्थापना के फलस्वरूप खिलाड़ियों की संख्या एवं सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
3. वर्तमान समय में उच्च स्तरीय खेल प्रदर्शन केवल पारंपरिक प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण, खेल चिकित्सा, पुनर्वास (Rehabilitation), पोषण, मनोवैज्ञानिक

सहायता तथा प्रदर्शन विश्लेषण जैसी आधुनिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (BSSA) द्वारा राज्य में आवश्यकता-आधारित "स्पोर्ट्स साइंस सेंटर" (उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण एवं इन्जुरी सेंटर) की स्थापना के प्रस्ताव पर सहमति दिया गया है।

4. भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) द्वारा देश में खेल विज्ञान एवं खेल चिकित्सा को बढ़ावा देने हेतु कई पहल की गई हैं। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केन्द्र (NCSSR) की स्थापना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों एवं संस्थानों में खेल विज्ञान केन्द्र संचालित हैं, जिनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित संस्थान शामिल हैं—

- (i) राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केन्द्र, बंगलुरु
- (ii) राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केन्द्र (NCSSR)
- (iii) श्री रामचंद्र सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस, चेन्नई
- (iv) सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर
- (v) पदुकोण-द्रविड़ सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस, बंगलुरु
- (vi) पुल्लेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी, हैदराबाद
- (vii) राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र (NCOE), सिगरा, वाराणसी

उक्त केन्द्रों के माध्यम से खिलाड़ियों को आधुनिक खेल विज्ञान सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। बिहार में वर्तमान में ऐसी समेकित खेल विज्ञान सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण खिलाड़ियों को अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है।

5. बिहार में खेल गतिविधियों के विस्तार के साथ-साथ खिलाड़ियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। राज्य के खिलाड़ी एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग, हॉकी, कबड्डी, शूटिंग, तैराकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल एवं अन्य खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी कर रहे हैं।
6. वर्तमान परिस्थिति में खिलाड़ियों को कतिपय समस्याओं यथा—खेल चोटों के उपचार हेतु विशेषज्ञ सुविधाओं का अभाव, वैज्ञानिक फिटनेस एवं प्रदर्शन परीक्षण की कमी, खेल पोषण एवं मनोवैज्ञानिक सहायता का अभाव, पुनर्वास एवं रिकवरी सेवाओं की सीमित उपलब्धता, खिलाड़ियों की दीर्घकालिक प्रदर्शन निगरानी व्यवस्था का अभाव का सामना करना पड़ता है।
7. स्पोर्ट्स साइंस सेंटर (उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण एवं इन्जुरी सेंटर) की स्थापना से खिलाड़ियों की प्रदर्शन क्षमता में वृद्धि, खेल चोटों की रोकथाम एवं त्वरित उपचार, खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण एवं मॉनिटरिंग, राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना एवं बिहार में खेल विज्ञान आधारित खेल संस्कृति का विकास होगा।
8. उक्त सेंटर का अधिष्ठापन एवं संचालन गुणवत्ता-सह-लागत आधारित चयन (QCBS—Quality-Cum-Cost Based Selection) के माध्यम से एजेंसी का चयन द्वारा किया जाना है।

पिछले कुछ वर्षों में बिहार में खेल अवसंरचना तथा खिलाड़ियों की सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा राज्य अब प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करने की दिशा में अग्रसर है। निकट भविष्य में एफ० आई० एच० प्रो हॉकी लीग, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2027, 100 वर्ष की मैत्री समारोह के अंतर्गत भारत एवं न्यूजीलैंड के मध्य रग्बी मैच, वर्ष 2028 में नेशनल यूथ गेम्स, वर्ष 2030 में विश्व कप हॉकी एवं वर्ष 2031 में नेशनल गेम्स का आयोजन किया जाना है। उक्त के आलोक में खिलाड़ियों, राष्ट्रीय टीमों एवं राज्य में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आगामी एक वर्ष के भीतर एक आधुनिक खेल विज्ञान केन्द्र की स्थापना की नितांत आवश्यकता है। ऐसी सुविधा उच्च कोटि के खिलाड़ियों को वैज्ञानिक एवं चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएगा, जिससे खिलाड़ियों की क्षमता, फिटनेस, चोट से बचाव एवं शीघ्र पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सकेगा।

9. भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के मानकों के अनुसार 200 खिलाड़ियों हेतु स्पोर्ट्स साइंस सेंटर (उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण एवं इन्जुरी सेंटर) की स्थापना के लिए फंक्शनल लैब, आईसोकाईनेटिक लैब, गैट लैब, फिजियोलॉजी लैब, बायोमैकनिक्स लैब, पारा परफॉर्मैन्स लैब, न्यूरो मस्कुलर स्ट्रेनथ लैब, रिकवरी लैब, रिहैबिलिटेशन लैब, साईकॉलोजी लैब, न्यूट्रीशन लैब एवं एथलीट मैनेजमेंट प्रणाली में उपकरणों का अधिष्ठापन एवं परिचालन हेतु अनुमानित लागत लगभग ₹25 करोड़ है।
 10. राज्य खेल अकादमी, राजगीर के परिसर में "स्पोर्ट्स साइंस सेंटर" (उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण एवं इन्जुरी सेंटर) के अधिष्ठापन एवं संचालन, रखरखाव, मानव संसाधन के लिए गुणवत्ता-सह-लागत आधारित चयन (QCBS—Quality-Cum-Cost Based Selection) के माध्यम से एजेंसी का चयन करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान करने तथा सेंटर के संचालन, रखरखाव, मानव संसाधन एवं उपकरणों के अधिष्ठापन पर लगभग कुल राशि ₹25 करोड़ के कुल व्यय पर दिनांक-05.08.2026 की मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं०-04 में स्वीकृति प्राप्त है।
 11. उक्त राशि का वहन वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग सं०-52 के अधीन बजट शीर्ष "2202-खेलकूद तथा युवा सेवाएँ-104- खेल-कूद-0109-खेल कूद, "विपत्र कोड-52-2204001040109 के अंतर्गत विषय शीर्ष-2002- कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार मद से व्यय किया जायेगा।
- आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराये जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

आदेश से,
निरंजन कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1004-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>